न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– कमर चौधरी
आई0ए0एस0

रैफरेन्स प्रा0 पत्र सं0 01/2022
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) तहसील मंहवा जिला दौसा
.. प्रार्थी

बनाम

1. इन्द्राज पुत्र मांगीलाल जाति मीना निवासी ग्राम धौलेटा तहसील नादौती
2. ललिता देवी पुत्री तुलाराम जाति संजोगी निवासी ग्राम बैरठा तहसील लक्ष्मणगढ
3. सतीश पुत्र धन्ना जाति संजोगी निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील महवा
4. मुकेश पुत्र धन्ना जाति संजोगी निवासी ग्राम गाजीपुर तहसील महवा

.. अप्रार्थीगण

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 भू–राजस्व अधिनियम–1956
सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

उपस्थितः 1. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता
2. श्री पदम सिंह गुर्जर, अधिवक्ता अप्रार्थीगण

<u>निर्णय</u>

दिनांक 25.01.2023

संक्षिप्त विवरण प्रा0 पत्र रेफरेंस इस प्रकार है कि तहसीलदार महवा ने ग्राम सांथा तहसील महवा के आ0ख0नं0 504 रकबा 0.76है. खसरा नंबर 505 रकबा 0.12 है व खसरा नंबर 505/1682 रकबा 0.14 है. जो कि खतौनी बन्दोबस्त संवत 2009 से 2019 में खाता संख्या 142 अंतर्गत खसरा नंबर 165 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम माफी श्री सीतारामजी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होने से रेफरेंस हेतु निवेदन किया है।

प्रा0पत्र रेफरेंस दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। उभय पक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में तहसीलदार महवा द्वारा प्रेषित रैफरेन्स के बिन्दुओं दोहराते हुए निवेदन किया कि:–

1. ग्राम गाजीपुर के खतौनी बन्दोबस्त संवत 2009 लगायत 2019 में खाता संख्या 142 अंतर्गत खसरा नंबर 165 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम माफी श्री सीताराम जी वाके देह व एतमाम पुजारी छाजू पुत्र सूरजमल सा. देह दर्ज था।
2. खतौनी भूमि एकीकरण संवत 2020 में उक्त खसरा नंबर 165 रकबा 4 बीघा 1बिस्वा का खसरा नंबर 108 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा कायम होकर जरिये नामान्तरण सं0 46 द्वारा काश्तकारी अधिनियम की धारा 19 के तहत छाजू के बजाय ब्रजमोहन पुत्र अंगद जाति संजोगी के नाम उक्त मंदिर माफी का नाम हजफ कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये, जबकि मंदिर माफी की भूमि की खातेदारी दीगर के नाम नहीं की जा सकती है।
3. उक्त तथाकथित खातेदार द्वारा जरिये नामान्तरण सं0 198 दान पत्र दिनांक 5.9. 1972 के द्वारा धन्ना पि.मु. ब्रजमोहन के नाम दिनांक 21.3.1974 से रिकॉर्ड में अंकित होकर मंदिर माफी की भूमि का विक्रय किया गया। 5.7.1985 से केता इन्द्राज पुत्र मांगीलाल (प्रतिवादी सं0 1), ललिता देवी पुत्री तुलाराम (प्रतिवादी सं0 2), सतीश पुत्र धन्ना (प्रतिवादी सं0 3), मुकेश पुत्र धन्ना (प्रतिवादी सं0 4) के नाम दर्ज हुआ। जबकि मंदिर माफी की भूमि का विक्रय किया जाना नियमों के विपरीत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:20:39 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

4. प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के द्वारा साबिक खसरा नंबर 108 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा में से 11 बिस्वा भूमि का पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु संपरिवर्तन करवाया जाकर खसरा नंबर 108/1 रकबा 11 बिस्वा भूमि जरिये नामान्तरण सं0 461 दिनांक 4.4.1987 से अलग खाता कायम करवाया जिसके वर्तमान खसरा नंबर 505/1682 रकबा 0.14है. है। खतौनी भू प्रबंध संवत 2050–2069 में पेट्रोल पम्प के नाम दर्ज है एवं शेष भूमि खसरा नंबर 504 रकबा 0.76है. व खसरा नंबर 505 रकबा 0.12है. कुल किता 2 रकबा 0.88है. भूमि प्रतिवादीगण 1 लगायत 4 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही है।
5. प्रस्तुत रैफरेन्स के बिन्दु सं0 2 व 3 में वर्णित भूमि को हस्तान्तरण करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं था, ना ही बिन्दु सं0 4 में पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु कोई कानूनी अधिकार प्राप्त था।

अतः रैफरेन्स प्रा0पत्र अंतर्गत धारा 82 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार फरमाया जाकर वर्तमान जमाबंदी संवत 2070 से 2073 खाता सं0 88 व 355 में वर्णित भूमि की खातेदारी व अनुज्ञा निरस्त कर मूर्ति मंदिर श्री सीतारामजी वाके देह के नाम पूर्ववत दर्ज फरमाई जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस में दलील है कि प्रश्नगत भूमि जरिये नामां0 सं0 198 दान पत्र दिनांक 5.9.1972 के द्वारा धन्ना पि0मु0 ब्रजमोहन के नाम दिनांक 30.4.1974 से दर्ज रिकार्ड है। भूमि का विक्रय दिनांक 5.7.1985 को इन्द्राज पुत्र मांगी लाल मीना व ललिता पुत्री तुलाराम, सतीश पुध धन्ना, मुकेश पुत्र धन्ना को बराबर हिस्से का विक्रय किया गया है। साबिक खसरा नंबर 108 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा में से 11 बिस्वा भूमि का पेट्रोल पम्प स्थापित किये जाने हेतु संपरिवर्तन कराया जाकर खसरा नंबर 108/1 रकबा 11 बिस्वा भूमि जरिये नामान्तरण सं0 461 दिनांक 4.4.1987 से अलग खाता कायम करवाया गया जिसके वर्तमान खसरा नंबर 505/1682 रकबा 0.14है. व खतौनी भू प्रबंध संवत 2050 से 2069 में पेट्रोल पम्प के नाम दर्ज है। शेष भूमि खसरा नंबर 504 रकबा 0.76है. व खसरा नंबर 505 रकबा 0.12है. कुल किता 2 रकबा 0.88है. अप्रार्थीगण सं. 1 से 4 के नाम दर्ज रिकार्ड चली आ रही है। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 04 ने प्रश्नगत भूमि को धन्ना पुत्र ब्रजमोहन जाति संजोगी निवासी गाजीपुर तहसील महवा से जरिये विक्रय पत्र क्रय की गई थी, जिसका नामा0 सं0 424 दिनांक 1.8.1985 को खोला गया था। अप्रार्थीगण द्वारा जिस वक्त भूमि क्रय की गई थी, उस वक्त जमाबंदी में माफी मंदिर का कोई नोट अंकित नहीं था, बल्कि धन्ना पुत्र ब्रजमोहन का नाम खातेदारी मे दर्ज था। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को क्रय किये हुए 37 वर्ष से भी अधिक का अरसा हो गया। भूमि क्रय किये जाने के बाद से ही उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा है। वर्तमान में अप्रार्थी सं0 01 विकलांग अनुसूचित जनजाति वर्ग का व्यक्ति है तथा विकलांग होने के कारण ही पेट्रोल पम्प विकलांग श्रेणी में होने के कारण स्वीकृत होकर संचालित है। अप्रार्थी सं0 1 का अलग खाता कायम हो गया है जिससे खसरा नंबर 505/1682 रकबा 0.14है. है तथा उसी पर पेट्रोल पम्प संचालित है। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 4 का अलग खाता कायम हो गया है जिसके खसरा नंबर 504 रकबा 0.76है. व खसरा नंबर 505 रकबा 0.12है. कुल किता 2 रकबा 0.88है. अप्रार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है और कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को क्रय किये जाने के उपरांत लाखों रूपये खर्च कर उपजाउ एवं काबिल काश्त बनाई है। भूमि विक्रय किये जाने के वक्त धन्ना पि.मु. ब्रजमोहन की खातेदारी दर्ज थी, कोई माफी मंदिर या इन्द्राज नहीं थे। भूमि विधिवत रूप से विक्रय पत्र के द्वारा क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया है तथा रहवास हेतु मकान खरीदने के बाद बनाकर निवास कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:21:39 IST
Reason: SelfAttested

निरन्तर 3 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

रहे है। तहसीलदार महवा द्वारा अप्रार्थीगण को हैरान व परेशान करने की गरज से यह रैफरेन्स प्रकरण दर्ज करवाया गया है। अतः रैफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

हमने अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम गाजीपुर के खतौनी बन्दोबस्त संवत 2009 लगायत 2019 में खाता संख्या 142 अंतर्गत खसरा नंबर 165 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम माफी श्री सीताराम जी वाके देह व एतमाम पुजारी छाजू पुत्र सूरजमल सा.देह दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण संवत 2020 के दौरान उक्त भूमि पुजारी छाजू के स्थान पर ब्रजमोहन पुत्र अंगद जाति संजोगी के नाम उक्त मंदिर माफी का नाम हजफ कर खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। भूमि खातेदारी होने पर भूमि का जरिये दानपत्र दिनांक 5.9.1972 के द्वारा धन्ना पि0मु0 ब्रजमोहन के नाम दर्ज रिकार्ड हुआ। धन्ना द्वारा भूमि का विकय पत्र दिनांक 5.7.1985 के द्वारा अप्रार्थीगण के पक्ष में पंजीबद्ध हुआ। भूमि वर्तमान में खसरा नंबर 504 रकबा 0.76है0 व खसरा नंबर 505 रकबा 0.12है. कुल किता 2 रकबा 0.88है. अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। इसके अतिरिक्त शेष भूमि खसरा नंबर 505/1682 रकबा 0.14है. गै0मु0 पेट्रोल पम्प दर्ज है। कूनन मंदिर माफी की भूमि की भूमि की खातेदारी दीगर के नाम नहीं की जा सकती है। भूमि की खातेदारी मंदिर माफी से हजफ कर अन्य के नाम दर्ज हो गई। तत्पश्चात भूमि का दीगर व्यक्तियों को विकय पत्र के द्वारा हस्तान्तरण हो गया। पूर्व पारित कार्यवाही अवैध व प्रभावशून्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार महवा द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र रेफरेंस स्वीकार किया जाता है। रैफरेंस माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावें। संबंधित पक्षकारान को निर्देशित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में दिनांकः 27.03.2023 को सुनवाई हेतु उपस्थित हो। पत्रावली बाद पूर्ति पत्रावलीं प्रविष्ठ लेख भण्डार हो । खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 25 जनवरी, 2023 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Qummer Ul Zaman Choudhary
Date: 2023.02.15 13:21:39 IST
Reason: SelfAttested